

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1036/2018-/राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्डू राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु शीर्ष 4701-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन मद में ₹ 335.04 लाख (रुपये तीन करोड़ पैंतीस लाख चार हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु शीर्ष 4701-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन मद में ₹ 335.04 लाख (रुपये तीन करोड़ पैंतीस लाख चार हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. इसके अंतर्गत सिंचाई अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंताओं द्वारा नियोजित मौसमी मजदूरों का पारिश्रमिक भुगतान एवं सिंचाई योजनाओं का वार्षिक रख-रखाव इत्यादि कार्य कराया जाएगा।
4. इस कार्य की विवरणी परिशिष्ट-I पर संलग्न है।
5. यह कार्य वर्ष 2018-19 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
6. इस कार्य पर होने वाला ₹ 335.04 लाख का व्यय

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा (विपत्र कोड 49S470180789460545)।

7. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्य के कार्यपालक अभियंता होंगे तथा संबंधित मुख्य अभियंता इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. इसके कार्यन्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
9. इस कार्य के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंध है।
10. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य वित्त विभागीय परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायगी।

11. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।
12. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
14. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिन्नु राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1036/2018-/राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1036/2018-/राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1036/2018-/राँची, दिनांक 01/11/2018

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मेदिनीनगर/हजारीबाग/चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/11/2018

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

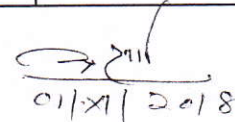
वर्ष 2018-19 में सिंचाई दे रही नहरों के सामान्य संपोषण हेतु प्रस्तावित राशि की विवरणी

(राशि लाख रु० में)

क्र०	प्रमण्डल का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	2	3	4
1	सिंचाई प्रमण्डल, दुमका	प्रमण्डल अन्तर्गत 8 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	22.87
2	सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा कैम्प महगामा	प्रमण्डल अन्तर्गत 4 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	20.81
3	सिंचाई प्रमण्डल, देवघर	प्रमण्डल अन्तर्गत 2 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	1.44
4	जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा	प्रमण्डल अन्तर्गत 7 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	26.58
5	अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा	प्रमण्डल अन्तर्गत 4 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	5.56
6	कदवन बाँध प्र०, नगर उंटारी	प्रमण्डल अन्तर्गत 2 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	2.99
7	जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर	प्रमण्डल अन्तर्गत 9 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	34.81
8	अग्रिम योजना प्र०, पलामू	प्रमण्डल अन्तर्गत 4 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	5.98
9	आयो० एवं मोनि० प्र०, मेदिनीनगर	प्रमण्डल अन्तर्गत 4 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	1.86
10	रूपां० प्र० सं०-2, मेदिनीनगर	नार्थ कोयल जलाशय योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	0.62
11	जलपथ प्र०, विशुनपुर, पाटन	नार्थ कोयल जलाशय योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	27.40
12	रूपांकण प्रमण्डल सं०-1, मेदिनीनगर	प्रमण्डल अन्तर्गत 2 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	3.71
13	जलपथ प्रमण्डल, रौंकी	प्रमण्डल अन्तर्गत 5 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	15.57
14	सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू	प्रमण्डल अन्तर्गत 5 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	46.85
15	जलपथ प्रमण्डल, खूँटी	प्रमण्डल अन्तर्गत 2 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	14.32
16	जलपथ प्रमण्डल चाईबासा	प्रमण्डल अन्तर्गत 4 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	22.45



 35/18-19 प्र. स्वी.
 01.11.2018


 01/11/2018

क्र०	प्रमण्डल का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	2	3	4
17	जलपथ प्रमंडल 1, चक्रधरपुर	प्रमण्डल अन्तर्गत 6 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	18.23
18	जलपथ प्रमंडल, गुमला	प्रमण्डल अन्तर्गत 7 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	15.47
19	जलपथ प्रमण्डल सं०-1, चैनपुर, गुमला	अपरशंख दांयी मुख्य नहर का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	3.09
20	जलपथ प्रमण्डल सं०-2, चैनपुर, गुमला	अपरशंख बांयी मुख्य नहर का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	3.71
21	जलपथ प्रमंडल 1, सिमडेगा	प्रमण्डल अन्तर्गत 5 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	10.98
22	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	प्रमण्डल अन्तर्गत 11 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	13.24
23	जलपथ प्रमंडल, बरही	प्रमण्डल अन्तर्गत 5 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	10.39
24	तेनुघाट डैम प्रमंडल, तेनुघाट	प्रमण्डल अन्तर्गत 3 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	1.88
25	खरकई बाँध प्र०सं०-2, ईचा चालियामा	प्रमण्डल अन्तर्गत 2 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	0.42
26	सुवर्णरेखा बाँध प्र०सं०-2, चांडिल	पलना जलाशय योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	0.83
27	लघु वितरणी प्र०सं०-10, घाटशिला	प्रमण्डल अन्तर्गत 3 अदद् सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान	2.98
कुल योग :-			335.04

35/18-99.खी.

01.11.2018

01/11/2018

उप सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची
01/11/18